देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों में अनिवार्य रिपोर्टिंग

यदि कोई व्यक्ति या कोई पुलिस अधिकारी या किसी संगठन या नर्सिंग होम या अस्पताल या मातृत्व गृह का कोई अधिकारी, जो एक परित्यक्त या खोये हुए बच्चे को ढूंढता है या उसका प्रभार लेता है या बच्चे को बाल देखभाल संस्थान को सौंप दिया जाता है, तो ऐसे बच्चे के बारे में अनिवार्य रूप से चौबीस घंटे के भीतर निम्न को सूचना देने की आवश्यकता होती है:

- ➢ चाइल्डलाइन सेवा– 1098
- ➢ नजदीकी पुलिस स्टेशन
- ➢ बाल कल्याण समिति
- ➢ जिला बाल संरक्षण इकाई
- ➢ बाल देखभाल संस्थान

यदि ऐसे बच्चे के संबंध में जानकारी चौबीस घंटे के भीतर नहीं दी जाती है, तो यह अपराध छह माह तक के कारावास या दस हज़ार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय है|

बाल गृह

संस्थागत देखभाल

मुक्त शरणालय

गैर-संस्थागत देखभाल

दत्तक ग्रहण

प्रयोजन

पश्चातवर्ती देखरेख

पालक देखभाल

बाल कल्याण समिति की जाँच प्रक्रिया

क्षेत्राधिकार का पता लगाने के लिए बालक की उम्र का निर्धारण

↓

15 दिनों के भीतर सामाजिक जाँच पूरी करने के लिए किसी सामाजिक कार्यकर्ता या किसी मान्यता प्राप्त एनजीओ को मामला सौंपना

↓

बच्चे का साक्षात्कार संवेदनशीलता के साथ तथा बच्चे के अनुकूल तरीके से से लें

↓

बच्चे को परिवार में वापस भेजा जा सकता है या नहीं, यह समझने के लिए बच्चे की पारिवारिक स्थिति का आकलन प्रदान करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को आदेश

↓

बच्चे के व्यापक विकास के लिए बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल योजना के विकास के आदेश के साथ-साथ चार महीने के भीतर पूरी जाँच और अंतिम आदेश पारित करें

↓

बच्चे और माता-पिता/अभिभावकों की काउंसलिंग (सलाह) के बाद बच्चे को परिवार में वापस भेज दें

बच्चे को बाल गृह, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, उचित सुविधा, उचित व्यक्ति या पालक देखभाल में रखें

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

(सी०एन०सी०पी०)

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (सी०एन०सी०पी०)

बाल कल्याण समिति (सीएसडब्ल्यू) की संरचना

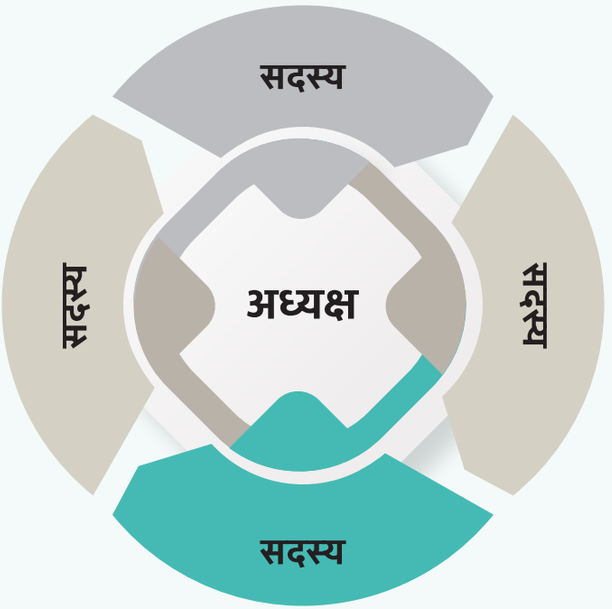

बाल कल्याण समिति के सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य एक महिला होगी बाल कल्याण मिति का कम से कम एक सदस्य आपातकालीन स्थितियों में (छुट्टियों सहित) मामलों की सुनवाई के लिए हमेशा उपस्थित रहता है

बाल कल्याण समिति की शक्तियां

बाल कल्याण समिति एक बेंच के रूप में काम करती है और इसमें प्रथम श्रेणी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर शक्ति होती है।

समिति के पास देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों को निपटाने तथा साथ ही उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतें और सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है।

बाल कल्याण समिति के प्रमुख कार्य

- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित जाँच का सञ्चालन
- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के संस्थागत और गैर-संस्थागत पुनर्वास के लिए आदेश पारित करना
- उन बच्चों तक पहुंचना, जो समिति के सामने नहीं लाये जा सकते
- अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने योग्य घोषित करना
- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए घरों का निरीक्षण करना
- परिवार से बिछड़े हुए बच्चों को फिर से स्थापित करने के लिए सभी प्रयास करना

बच्चे को कौन बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ?

- कोई भी लोक सेवक
- कोई पुलिसकर्मी
- कोई सरकारी अधिकारी
- चाइल्डलाइन (1098) या कोई अन्य गैर-सरकारी संस्थान (एन०जी०ओ०)
- कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता
- कोई भी उत्साही नागरिक
- चिकित्सा से संबंधित कोई भी सदस्य
- बालक खुद

कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, संगठन, अस्पताल, नर्सिंग होम या मातृत्व गृह, जो एक परित्यक्त, खोये हुए या अनाथ बच्चे को ढूँढता है और उसका प्रभार लेता है, उसे इसकी सूचना नजदीकी बाल कल्याण समिति या चाइल्डलाइन सेवा या पुलिस स्टेशन को देनी चाहिए या बच्चे को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान को सौंप देना चाहिए। रिपोर्ट न करना एक अपराध है और 6 महीने तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय है।